गोपनीय/केवल शासकीय उपयोगार्थ

# शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की नगर निगम, ऋषिकेश सीमान्तर्गत अवस्थित लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण की योजना का आगणन के प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी गण उपस्थित थे :–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित सिहं नेगी, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी0के0 पचौरी, सलाहकार (अभि0), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **परियोजना का प्रस्ताव** :– नगर निगम, ऋषिकेश सीमान्तर्गत गोविन्द नगर में डम्पिंग जोन/लीगैसी वेस्ट स्थल पर लगभग 2.71 लाख घन मीटर लीगैसी वेस्ट के प्रस्संकरण एवं निस्तारण हेतु शहरी विकास निदेशालय द्वारा डी0पी0आर0 गठित की गयी है। 2.17 लाख मीट्रिक टन (2.71 lac cubic meter x 0.8 MT = 2.17 MT) लीगैसी वेस्ट हेतु आंकलित धनराशि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु निर्धारित न्यूनतम दर एल–1 रू0 398.84 प्रति मीट्रिक टन के आधार पर आंकलित की गयी है। उक्त कार्य पर आंकलित व्यय का वहन चौदहवें/पन्द्रहवें, वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त निधि से पोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा नगर निगम, ऋषिकेश उक्त आंकलित व्यय वहन करने में सक्षम है। लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण के परिणामस्वरूप निकलने वाले Bio soil/Inert/compost/Recycle एवं रोडी–पत्थर (बोल्डर्स) का सम्बन्धित निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार उपयोग किया जायेगा।

2. **परियोजना में प्राविधान** :– परियोजना में डम्पिंग जोन/लीगैसी वेस्ट स्थल पर 2.17 लाख मी0 टन लीगेसी वेस्ट को रू0 398.84 प्रति मीट्रिक टन की दर पर Biomining के द्वारा निस्तारण।

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत** :–

   3.1 प्रस्ताव विभागीय समिति से संस्तुत है।

   3.2 प्रस्तुत कार्य की डी0पी0आर0 Tata Consultancy Engineers ltd द्वारा तैयार की गयी है।

Pant

क्रमशः पृष्ठ–2/–

3.3 ऋषिकेश सीमान्तर्गत गोविन्द नगर में डम्पिंग जोन/ लीगैसी वेस्ट स्थल पर Topographic Survey एवं Trial Pit Data के आधार पर लीगैसी वेस्ट एवं आगामी एक वर्ष हेतु ऋषिकेश की जनसंख्या के आधार पर आंकलित वेस्ट को सम्मिलित करते हुए कुल 2.71 लाख घन मीटर वेस्ट आंकलित किया गया है।

3.4 2.71 लाख टन (2.71 lac cubic meter x 0.8 MT = 2.17 MT) लीगैसी वेस्ट हेतु आंकलित धनराशि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु निर्धारित न्यूनतम दर एल–1 रू0 398.84 प्रति मीट्रिक टन के आधार पर लागत आंकलित की गयी है।

3.5 केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा लीगैसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के प्रस्तर–5 में Operation and Maintenace Cost for Bio-remediation and Biomining cost रू0 400.00 से 700 प्रति घन मीटर दर्शायी गयी है।

3.6 नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य पर आंकलित व्यय का वहन चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त निधि से किये जाने का उल्लेख है।

4. **परियोजना की लागत** :– लागत का विवरण निम्नानुसार है:–

| S. No. | Items of Work | Quantity | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर निगम, ऋषिकेश सीमान्तर्गत अवस्थित लीगैसी वेस्ट को Biomining के द्वारा प्रसंस्करण एवं निस्तारण का कार्य | 2.17 lac MT | Rs 398.84 मीट्रिक टन | Rs 865.00 Lac |

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त अभिमत/निर्णय** :–

**प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में समिति द्वारा आगणन की लागत रू0 865.00 लाख (उक्त प्रस्तर–4 में अंकित लागत विवरण प्रस्तर के अनुसार) को निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया :–**

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 योजना का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जाय।

5.3 कार्य स्थल पर कार्य सम्पादन के दौरान आस–पास के पर्यावरण एवं निवासियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

5.4 Biomining Site पर चारों ओर से जी0आई0 शीट लगाकर कवर कर ली जाय जिससे आस–पास रहने वाले जनमानस को कार्य स्थल दिखाई न दें।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.5 कार्य स्थल पर कार्यरत मजदरों को Protective Equipments and Kits भी उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यरत कार्मिकों को Insurance भी कराया जाय।

5.6 कार्य स्थल पर अवैध रूप से Man, Material and Vechicle की Entry न हो।

5.7 केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत Guildlines for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1—5.7 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। **उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।**

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

25.11.20

**ओम प्रकाश**
मुख्य सचिव

**उत्तराखण्ड शासन,**
**राज्य योजना आयोग**
**(नियोजन विभाग)**
**संख्या 1271 /654/व्य0वि0स0/रा0यो0आ0/2020**
**देहरादूनः दिनांकः 26, नवम्बर, 2020**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।
3. एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

**(गंगा प्रसाद पन्त)**
तकनीकी विशेषज्ञ